कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 31.07.2025

विषय:- थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा आभूषण चोरी के मामले में अभियुक्त हनीफ शेख को गिरफ्तार किया, कब्जे से चोरी की आभूषण (पीली धातु/सफेद धातु) व चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0176/2025 धारा 305(a), 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हनीफ शेख पुत्र नाजू शेख निवासी निचेरपारा बरुआ गोपालपुर थाना मुराडीह, बीरभूमि, पश्चिम बंगाल को दिनांक-31.07.2025 को समय करीब 02.10 बजे गोईठहां रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद अंगूठी नग जड़ित पीली धातु, 01 जोड़ी झुमकें पीली धातु, 01 जोड़ी टाप्स पीली धातु, 01 जोड़ी टाप्स नग जड़ित पीली धातु, 02 जोडी पायल सफेद धातु, 01 अदद सिन्दूरदानी सफेद धातु, 01 जोड़ी छोटा कड़ा सफेद धातु, 01 जोड़ी कड़ा पीली/सफेद धातु, 07 जोड़ी बिछिया सफेद धातु नग जड़ित व 01 अदद चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.07.2025 को वादी मुकदमा ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी कर लेने के सम्बन्ध लिखित तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 महेश मिश्रा द्वारा संपादित किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं लगभग 10 साल से बनारस में राजमिस्त्री का काम कर रहा हूं। मैं संजय नगर कालोनी में काम कर रहा था उसी के पास एक मकान जिसमें रहने वाले लोग कही गये थे तो मैंने उसी घर से आभूषण व 15 हजार रुपये चोरी कर लिया था जिसमें से 10 हजार का मोबाइल फोन खरीद लिया था, बाकी कुछ पैसों को खाने पीने व शानों शौकत में खर्च कर दिया हूँ। चोरी के कुछ आभूषण को आस पास राहगीरों को बेच दिया और कुछ आभूषण को बेचने के लिये एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हनीफ शेख पुत्र नाजू शेख निवासी निचेरपारा बरुआ गोपालपुर थाना मुराडीह, बीरभूमि, पश्चिम बंगाल, उम्र करीब वर्ष 28।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

गोईठहां मोड़ रिंग रोड से, दिनांक- 31.07.2025 को समय करीब 02.10 बजे।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 अदद अंगूठी नग जड़ित पीली धातु, 01 जोड़ी झुमकें पीली धातु, 01 जोड़ी टाप्स पीली धातु, 01 जोड़ी टाप्स नग जड़ित पीली धातु, 02 जोडी पायल सफेद धातु, 01 अदद सिंन्दूरदानी सफेद धातु, 01 जोड़ी छोटा कड़ा सफेद धातु, 01 जोड़ी कड़ा पीली/सफेद धातु, 07 जोड़ी बिछिया सफेद धातु नग जड़ित, 01 अदद मोबाइल फोन (पोको कम्पनी) बरामद ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 176/2025 धारा- 305(a),331(4),317(2) बीएनएस थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 महेश मिश्रा थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 गौरव सिंह कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 चन्द्रसेन सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 दिवाकर वत्स, सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।